न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

पीठासीन अधिकारी : अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0न0 06/अपील/24 तारीख दायराः 07.02.2024

गंगाराम वल्द श्री भवानी सिंह जाति राजपूत

निवासी हतुनिया तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पोंडेण्ट)

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार पचहाड़ निर्णय दिनांक 24.02.2023

मिसल न0 2145/2023

उपस्थितः– श्री तंवरसिंह, अभिभाषक अपीलान्ट

पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– दिनांकः 30.07.2024

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 24.02.2024 जो मिसल न0 2145/2023 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट को ग्राम हतुनिया तहसील पचपहाड़ की आराजी ख0न0 31/672 रकबा 0.4805 हैक्टेयर में से 0.2402 हैक्टेयर बारानी सोयम पर अतिक्रमी मानकर 105/–रू0 शास्ती तथा 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील मीमों में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना केप्रिसियस तथा परवर्स एवं पत्रावली संग्रहसार के विरूद्ध होने से निरस्तनिय है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया जाकर अतिक्रमी गलत माना गया है। अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.02.2024 निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

जिला कलक्टर
झालावाड़

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील मीमों की पुष्ठी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर दिये बगैर उसकी अनुपस्थिति में उसके खिलाफ एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट का उक्त प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 31/672 रकबा 0.2402 हैक्टेयर बारानी सोयम पर कोई कब्जा नहीं है इस बाबत वह न्यायालय में प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत कर देगा एवं पेनल्टी की राशि भी जमा करा दी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने

व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया जाने पर बेदखली की गई थी जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के लेखबद्ध बयानों से मानी है। इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा नही होना अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में अन्दर 15 योम 20000/– रूपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वंय अतिक्रमण करेगें और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगें। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वंय का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नही होगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांकः 30.07.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजयं सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़